DoIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

क्रमांकः—एफ.2(254)/डीओआईटीएण्डसी/2022 जयपुर, दिनांकः

आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)FD/ Rules/2017 दिनांक 27.02.2022 तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017Pt. दिनांक 30.05.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिको को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल—10 में स्वीकृत की जाती हैः—

क्र. सं.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय	सूचना सहायक के पद पर वास्तविक प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी.पी. देय दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	W-2136	श्री रमेश कुमार	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, चुरू	06.07.2016	06.07.2025	09 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
2	W-1330	सुश्री रंजिता कौर	प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर	04.08.2016	04.08.2025	

उपर्युक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित सूचना सहायको के गत सात वर्ष मे से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य मे उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा। उपरोक्त सूचना सहायक का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग की उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 (2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार निर्धारित किया जावेगा वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हेः—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नही की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नही दिया गया है।
4. इनके विरूद्व सी.सी.ए. 16/17 के तहत कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षो से नियमित वार्षिक वेतन वृद्धियां मिल रही है।

उक्त स्वीकृति व वेंतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Signature valid
Digitally signed by Rameshwar Lal Solanki
Designation : Head Of Office
Date: 2025.09.08 10:38:30
Reason: Approved

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. संबंधित सूचना सहायक।
5. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी